फर्द अहकाम

दिनेश कुमार बनाम चौथमल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 33/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि यह कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रार्थी का 25/44 हिस्सा निहित है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को समय–समय पर वाद अधीन भूमि का विधिक विभाजन हेतु कई बार कहा जा चुका है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 बिना विभाजन कराये ही वादग्रस्त आराजी पर भूखण्ड काट कर निर्माण कार्य करने हेतु उतारू हो गया है। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नही किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को वाद अधीन कृषि भूमि से बेदखल करने एवं विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी स्वयं ही अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन पत्थर का डण्डा खिंचने पर उतारू हो रहा हैं व मिन अप्रार्थी की भूमि को हडप कर अवैध कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनगंढत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से स्थाई [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना वाद कारण के पेश किया है [illegible] चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मिन अप्रार्थी के पक्ष में [illegible]बी साबित है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावें। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

दिनेश कुमार बनाम चौथमल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 33/2022

बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर मनन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, प्राथी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग का निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि भूमि ग्राम वाके ग्राम बिलौंची तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नं. 701 रकबा 0.44 है0 मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested